न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : असलम मेहर आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 483/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– भलमती पुत्री रावत 2– आयचूकी पुत्री रावत 3– भंवरीदेवी पुत्री रावत 4– कालीदेवी पुत्री रावत जातियान विश्नोई निवासी ग्राम लाखेटा तहसील ओसिया, जिला जोधपुर		1– जमना बेवा रावत 2– शांति पुत्री रावत 3– चौथी पुत्री रावत जातियान विश्नोई निवासी ग्राम लाखेटा तहसील ओसियां, जिला जोधपुर 4– सरपंच ग्राम पंचायत मतोडा, पंचायत समिति ओसियां, जिला जोधपुर

राजस्व द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी ओसियां जो राजस्व अपील संख्या 4/2011 अनवान भलमती वगैरा बनाम जमना वगैरा मे निर्णय दिनांक 3–6–2016 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री रोशनलाल अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री पूनाराम विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 1 से 3 की ओर से ।
3– रेस्पो0 संख्या 4 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 28–6–2019

इस अपील का सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम लाखेटा पटवार हल्का मतोडा तहसील ओसियां के खसरा नंबरान 906 रकबा 61 बीघा 04 बिस्वा, खसरा नंबर 938 रकबा 0.17 बीघा, खसरा नंबर 939 रकबा 21 बीघा 03 बिस्वा कुल 83 बीघा 04 बिस्वा भूमि रावत पुत्र भारता कौम विश्नोई सा0 देह के खातेदारी की थी । उक्त खातेदार रावत के फोत हो जाने पर उसके खातेदारी की भूमि के संबंध मे नामांतरकरण संख्या 176 उसकी पत्नी जमना एवं शांती पुत्री रावतराम पत्नी हरचंद राम के नाम दर्ज करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत मतोडा द्वारा दिनांक 18–02–2009 को स्वीकृत कर दिया । उक्त म्युटेशन संख्या 176 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष मृतक खातेदार रावतराम की अन्य पुत्रियां वर्तमान अपीलांट संख्या 1 से 4 भलमती वगैरा ने प्रथम अपील वर्ष 2011 मे अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां के समक्ष पेश की जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3–6–2016 के द्वारा पत्रावली को कोर्ट केम्प मे रखते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज कर दी जाने पर अपीलांटगण ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांटगण अपील मे वर्णित वादग्रस्त भूमि के खातेदार रावतराम की पुत्रियां है तथा वे भी हिन्दु

उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रथम श्रेणी की वारिसान है परंतु खातेदार रावतराम के देहांत होने पर उसके खातेदारी की भूमि के संबंध मे अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 176 मृतक के विधिक वारिसान की जांच किये बिना ही मृतक की पत्नी एवं एक पुत्री शांति को जायज वारिस होने का उल्लेख करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत मतोडा ने स्वीकृत कर दिया तथा वर्तमान अपील की अपीलांटगण एवं वर्तमान अपील की रेस्पो0 संख्या 3 चौथी को उनके पिता के खातेदारी की भूमि से वंचित रखते हुए जो अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत किया था, जो प्रारंभ से ही विधिविरूद्ध था तथा यह भी कथन किया कि अपीलांटगण को उक्त म्युटेशन की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलंब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रथम अपील पेश की थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना पक्षकारान को सुचित किये तथा पत्रावली को केम्प कोर्ट मे रखने बाबत बिना आदेशिका ड्रॉ किये ही अपील को एकतरफा मयाद के बिन्दु पर खारीज करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त करने का निवेदन किया तथा प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को पक्षकारो की सुनवाई कर पुनः नये सिरे से अपील का निर्णय करने हेतु प्रतिप्रेषित करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 176 जो कि वर्ष 2009 मे स्वीकृत हुआ था, जिसके विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे अपील लगभग 22 माह विलंब से पेश की तथा अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे विलंब को क्षमा करने का कोई ठोस एवं संतोषप्रद कारण का उल्लेख नही होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपील को मयाद बाहर होना मानते हुए खारीज की है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है इसलिए अपीलांटगण की यह अपील खारीज करने का निवेदन किया ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अपीलांटगण स्वयं ने अपीलाधीन भूमि के संबंध मे एक हकतर्कनामा रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के पक्ष मे दिनांक 3–3–99 को निष्पादित किया था ऐसे मे अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी तो अपीलांटगण को पूर्व मे ही हो चुकी थी फिर भी हकतर्कनामा करने वाली मृतक की पुत्रिगो ने ही अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश कर दी जबकि उनका अपीलाधीन भूमि से अधिकार तो हकतर्क करने के साथ ही समाप्त हो चुका था इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील को मयाद के बिन्दु पर ही खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांटगण की अपील का खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओ की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध पत्रादि का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं एवं पारित अपीलाधीन निर्णय का भी अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओ अनुसार पत्रावली मूल नामांतरकरण तहसीलदार ओसियां से तलबी मे

चल रही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकारो की ओर से अधिवक्तागण उपस्थित हो रहे थे तथा अधीनस्थ न्यायालय की सीलनुमा आदेशिका दिनांक 29–4–16 से पत्रावली दिनांक 27–7–16 मुकर्रर थी परंतु इससे पहले ही दिनांक 30–6–2016 को पत्रावली को लोक अदालत कोर्ट केम्प अटल सेवा केन्द्र मोटाणीया नगर मे रखते हुए अपील को धारा 5 मयाद बिन्दु के आधार पर खारीज कर दी जबकि अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका मे पत्रावली को लोक अदालत केम्प कोर्ट मे रखने का कोई उल्लेख नही है न ही अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे पक्षकारो को पत्रावली केम्प मे रखने बाबत कोई नोटिस या सूचना उपलब्ध है, ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पक्षकारो को सुनवाई का अवसर दिये बिना एकतरफा पारित किया है, जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

परिणाम स्वरूप अपीलांटगण की यह अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ओसियां द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 3–6–2016 निरस्त कर प्रकरण पुनः उपखण्ड अधिकारी ओसियां को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें ।

निर्णय आज दिनांक 28–6–2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(असलम मेहर)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर